तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0– 14/2018–19

आवेदक– सुभाशिनी सोरेन

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– करणपुरा

आदेश

19.7.19

आवेदिका द्वारा दिनांक 18.08.2018 को आवेदन दाखिल कर मौजा करणपुरा के प्रधानी पट्टा नवीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 617/रा0, दिनांक 07.12.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा करणपुरा नं0– 27, बंगला महाराजपुर के प्रधानी पद पर आवेदिका सुभाशिनी सोरेन पति– स्व0 मसीदास मुर्मू, सा0– करणपुरा, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज को पी0ए0 वाद सं0 06/1995–96 के द्वारा प्रधानी पट्टा निर्गत किया गया है तथा उक्त अवधि से आवेदिका मौजा का प्रधानी पद पर नियुक्त है तथा प्रधानी कार्य सुचारू रूप से चला रही है। अंचल अधिकारी, तालझारी द्वारा पट्टा नवीकरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव में आवेदिका सुभाषिनी सोरेन को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधानी पट्टा निर्गत किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

ज्ञापांक 289/स्था0
दिनांक 23.7.19

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अभिलेख आज उपस्थापित/ नवनियुक्त प्रधान के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

सुभाशिनी सोरेन